

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांडल (भीलवाड़ा)

पीठासीन अधिकारी: सुश्री सुधांगी गांधीवाल, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 192/18

1- श्री चान्द मो० प्र० तैय्य व अनी मुसलमान निवासी-गाण्डन, तंजगाण्डन [पंजीब] प्राथी

वनाम

1- श्री देवीलाल शं० श्री सोहनलाल रबर्णकार निवासी-गाण्डन, तंजगाण्डन [पंजीब] प्राथी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा०भू०रा०अधि० 1956

:: आदेश ::

दिनांक:- 11.7.18

प्राथी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा०भू०रा०अधि० 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कीर खेड़ा ..... पटवार हल्का संतोफपुर, तहसील मांडल/करेड़ा में उसके खात/संयुक्त खातों की आराजी नं० 8785/2, 8786/2 ..... कुल किता ..... रकबा 01 बीघा 13 ..... विस्वा स्थित हैं। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीयण के मध्य अराजी नुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं हाने से आये दिन सीमा रावंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिरामें प्राथी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि का पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 10.7.18 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वाद ग्रस्त भूमि प्राथी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढ़ी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में विस्वी प्रकार की हेरा-फैरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्राथी स्वीकार योग्य हैं।

:: आदेश ::

प्राथी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम कीर खेड़ा ..... पटवार हल्का संतोफपुर ..... तहसील मांडल/करेड़ा में स्थित आराजी नम्बर ..... 8785/2, 8786/2 ..... कुल किता 02 ..... रकबा 01 ..... बीघा 13 ..... विस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक सी० पी० ..... को 300/- रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस प्राथीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये मुस्तकील विन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढ़ी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी  
मांडल, भीलवाड़ा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार मांडल/करेड़ा को भेजकर लेख है कि प्राथी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी  
मांडल, भीलवाड़ा